Page 1, omit lines 5 to 7

(Admts. 2, 3 & 4).

[*Shri Sinhasan Singh*].

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Eigh'h Year" *substitute* "Tenth Year" (Amdt. 1).

[*Shri Sinhasan Sinha*].

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

Shrimati Subhadra Joshi: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.27 hrs.

MINIMUM WAGES (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 14) by Shri Kanhaiya Lal Balmiki

Shri Balmiki (Bulandshahr—Reserved—Sch. Castes): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Minimum Wages Act, 1948 be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, जबकि देश की उत्तरी सीमा पर चीन की लिप्सापूर्ण दृष्टि है, ऐसे अवसर पर देश में जो औद्योगीकरण का पिछड़ापन है और भारी उद्योगों को बढ़ावा देने का जो प्रश्न है, उनकी ओर सरकार का ध्यान जा रहा है। लेकिन आज देश में श्रमिकों की जो अवस्था है, उसको देखते हुए यह आवश्यक है कि उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार हो, उन को न्यायपूर्ण मजूरी मिले और जितनी वे मेहनत मन से करते हैं, उस मेहनत का, उनकी गाढ़े पसीने की कमाई का उनको ठीक ठीक फल प्राप्त हो। उस बात को दृष्टि में रखते हुए मैंने यह छोटा सा, सन् १९४८ के मिनिमम वेजिज एक्ट की चौदहवीं धारा को छूते हुए एक संशोधनात्मक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, जिसका कि मशा यह है—

"provided that where no provision exists for the determination of over time wage, it shall be double the ordinary rate of wages."

१९४८ के विधेयक में किसी प्रकार भी इस तरह का कोई मार्ग निर्देशन नहीं किया गया है कि जिससे यह समझा जा सके कि मिनिमम वेजिज के रेट की तरफ या घण्टों की तरफ कोई ध्यान दिया गया है। उस विधेयक के द्वारा यह कार्य केवल राज्य सरकारों की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकारों ने इस दिशा में इच्छा या अनिच्छापूर्वक जो ध्यान दिया है, उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई है। मैं भंगी जांच कमेटी के सम्बन्ध में और उस तरह दूसरे रूप से भी सारे राज्यों में घूमा हूं। इस लिए मुझे इन वेजिज के रेट्स में, और घंटों में डिसपैरिटी और इन इक्वैलिटी आफ वेजिज की झलक दिखाई देती है। यह खेद का विषय है कि इस विधेयक को पास करने के बारह वर्ष के बाद भी, देश की बारह साल की स्वतन्त्रता के बाद भी, इस प्रकार की डिसपैरिटी और इस प्रकार की इन इक्वैलिटी आफ वेजिज देश में दिखाई दे। वेज रेट्स के सम्बन्ध में

[Shri Balmiki]

और घंटों के सम्बन्ध में सरकार की एक यूनिफ़ार्म पालिसी होनी चाहिये, लेकिन मैं यह देखता हूं कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के प्रति एक उदासीनता दिखाई है। जहां तक राज्य सरकारों का ताल्लुक है, वे अपने तरीके से चलती हैं, लेकिन केन्द्रीय सरकार का ध्यान उनकी ओर उतना नहीं जाता है, जितना कि जाना चाहिए। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार किस प्रकार का कदम उठाना चाहती है और किस दिशा का अवलम्बन करना चाहती है। वेज रेट को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय आई० एल० ओ० कनवेन्शन के ज़रिये और सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड के सिफ़ारिश के ज़रिये किये गये हैं, लेकिन उनको कहां तक अमल में लाया गया है, यह भी एक सन्देह की बात है।

जहां तक वेजिज़ का सम्बन्ध है, अनेक वेजिज़ आज संसार में और इस देश में हैं और उसके अनेक रूप और रूपान्तर हैं, जैसे स्टैण्डर्ड वेजिज़, फ़ेयर वेजिज़, लिविंग वेजिज़, नेशनल वेजिज़, बेसिक वेजिज़ और मिनिमम वेजिज़ इत्यादि। लेकिन ये सभी तरह के वेजिज़ आज की अवस्था में डाईंग वेजिज़ बन कर रह जाते हैं। लेकिन सरकार किधर ध्यान देना चाहती है, इन में से किस का सहारा लेकर चलना चाहती है? उधर भी हम को कोई आशाजनक तस्वीर नज़र नहीं आती, कोई आशाजनक उम्मीद नज़र नहीं आती। मेरे बिल में तो केवल ओवर-टाइम की बात है। अगर आप फैक्टरी एक्ट का सहारा लेते हैं या शाप्स एण्ड कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट्स एक्ट का सहारा लेते हैं, तो उस से कोई काम नहीं बनता है। मैं यह भी देखता हूं कि जब लेबर की बात की जाती है, या उनके लिये इस तरह की सहूलियतों की बात की जाती है, तो हमारे मस्तिष्क में इंडस्ट्रियल लेबर की बात होती है और म्युनिसिपल लेबर और एग्रीकल्चरल लेबर की तरफ़ हमारा ध्यान उतना नहीं जाता है। कहीं कहीं मिनिमम वेजिज़ हल्के हल्के फ़िक्स किए गए हैं। मैंने आन्ध्र प्रदेश में देखा है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल लेबर की तरफ भी ध्यान दिया है। ११–१०–५८ को एक नोटिफ़िकेशन जारी करके म्युनिसिपल वर्कर्ज़ की तरफ़ भी ध्यान दिया गया है। लेकिन ये सब काग़ज़ी बातें हैं। यह सब कार्य-वाही काग़ज़ी दिखाई देती है। आज भी इस देश में इस तरह की भावना है कि यहां पर मज़दूर को क्या मिलता है। मैं मिलों के मज़-दूरों की बात नहीं करता हूं—मैं और मज़दूरों की बात करता हूं। उधर भारी डिसपैरिटी नज़र आती है। उधर ध्यान देने की ज़रूरत है। जहां तक मज़दूरों का ताल्लुक है, वे कहीं भी जाते हैं, कोई भी प्रश्न उठता है, हड़ताल का कोई कदम उठता है, तो वेजिज़ को बढ़ाने की ओर इस सम्बन्ध में एक यूनिफ़ार्म पालिसी की मांग की जाती है। लेकिन उधर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। यह ठीक है कि रास्ते में कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन उन को देखते हुए सरकार कितना आगे बढ़ रही है? मैंने यह देखा है कि कहीं कहीं पर इस तरह की कमेटियां भी बनती हैं, लेकिन उनसे मज़दूरों का सवाल हल नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा कि आदमी जो मेहनत करता है, उसको उसकी गाढ़े पसीने की कमाई का फल मिलना चाहिये। वह खून पसीने की कमाई करता है, उसको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। हमारे संविधान की अनुच्छेद २३ में साफ़ तौर से कहा गया है कि No one will be forced to work without any payment. Begar shall be treated as an offence. यह बात ठीक है कि उनको जितना मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है। सरकार हल्के हल्के कुछ कदम

उठाना चाहती है, लेकिन यह बात जरूर है कि अगर हम इंडस्ट्रियल लेबर को छोड़ दें और दूसरे लेबर को लें, तो हम देखते हैं कि बैगार चलती है और फोर्स्ड लेबर आज भी इस देश में मौजूद है। अभी कुछ दिनों की ही बात है कि एफ० ए० पास दो हरिजन लड़के एक गांव से भाग कर आए, तो कुछ जाट लोगों ने उनको ऐसा मजबूर किया और कहा कि कालेज से आकर तुम बेकार क्यों पड़े हो, तुम को कोल्हू झोंकने के लिये आना है। इस तरह की कई घटनायें सामने आती हैं। इस अवसर पर आप कहेंगे कि जबकि एक ऐसे ऐक्ट के संशोधन का विषय है, मैं ऐसी बात क्यों कहना चाहता हूं। केवल इस लिये कहना चाहता हूं कि यह बात छोटी जरूर है, लेकिन अगर ओवर-टाइम को हम वेज रेट का मूलभूत सिद्धान्त समझें, मूलभूत आधार समझें, तो उस बात को देखते हुए ओवर-टाइम वेज रेट की तरफ़ ध्यान देना होगा वेज फ़िक्सिंग पालिसी की तरफ ध्यान देना होगा और आवर्ज---घंटे---ठीक तरह से हों, उस तरफ़ ध्यान देना होगा। लिविंग वेज फ़ार वर्कर्स की तरफ़ ध्यान देते हुए संविधान के आर्टिकल ४३ में यह कहा गया है: —

> "The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities...."

अदर वर्कर्स का सीधा मतलब है कि म्यूनिसिपल वर्कर्स की ओर ध्यान जाना चाहिये। यह ठीक है कि सरकार ध्यान देना चाहती है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी जाहिर किया, सरकार का ध्यान इंडस्ट्रियल लेबर की तरफ जाता है और दूसरे म्यूनिसिपल या एग्रीकल्चरल वर्कर्स की तरफ नहीं जाता है। यही नहीं, यद्यपि संविधान में लिंग-भेद को नहीं माना गया है, लेकिन आज भी देश में लिंग भेद है---औरत मर्द का भेद है। अभी चन्द मिनट पहले एक विधेयक एक संशोधन के रूप में पास हुआ है, जिसका उद्देश्य हमारी नारियों की मजबूरी की हालत को समाप्त करना है, वह भी यह जाहिर करता है कि अभी लिंग-भेद कितना है। जहां तक वेजिज का सम्बन्ध है, मजूरी का सम्बन्ध है, वहां पर भी लिंग-भेद है। मैंने खुद फैक्टरियों में देखा है। ऐसी फैक्टरियां भी हैं और म्यूनिसिपैलिटियां भी हैं। जहां औरत मर्द के वेज रेट में विभिन्नता है आन्ध्र में मैंने देखा है कि एक मर्द जो डोमेस्टिक काम करने वाला है उसको २५ रुपये मिलते थे और एक औरत जो काम करने वाली थी, उसको सात रुपये मिलते थे हालांकि काम में बहुत ही थोड़ा फर्क था। आज भी हम देखते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल ३९ (डी) में यह कहा गया है :—

> "that there is equal pay for equal work for both men and women";

किन्तु इसके होते हुए भी यह विभिन्नता देश में विद्यमान है और उसका प्रभाव ओवर-टाइम पर भी दिखाई पड़ता है।

केन्द्रीय सरकार ने १४ (बी) धारा पर रूल बनाते हुए कहा है . —

> "that where a worker works in an employment for more than 9 hours on any day or more than 48 hours in a week, he would be entitled to wages in respect of over-time at the rate of 1½ times the ordinary rate of wages in cases of employments in agriculture and at double the ordinary rate of wages in cases of any other scheduled employments".

यहां भी ड्योढ़े का जिक्र है लेकिन डबल का जिक्र नहीं है। वह धारा भी इस तरह की है कि मनुष्य को अपने गाढ़े पसीने की कमाई का फल भी न मिले। यह सामाजिक अन्याय नहीं तो क्या है? अभी तक अनेक राज्यों में स्थिति भिन्न भिन्न है। कहीं पर रूल बने हैं, कहीं पर

[Shri Balmiki]

नोटिफिकेशन जारी किये गये हैं और कहीं पर न रूल बने हैं और न नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। हमारा जो एक मेजर राज्य है, उत्तर प्रदेश, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर तथा यूनियन टैरिटरीज में भी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है, न रूल बने हैं और न ही नोटिफिकेशन जारी किये गये हैं। यह चिराग तले अंधेरा वाली बात है। वह समय खत्म हुआ है जबकि मजदूरों को अंधेरे में रखा जा सकता था। आज के क्रान्तिकारी युग में जबकि आप उत्पादन बढ़ा देखना चाहते हैं और देश में स्वच्छता तथा प्रजातन्त्र लाना चाहते हैं, चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, चाहते हैं कि औद्योगीकरण हो, चाहते हैं कि भारी उद्योगों की स्थापना हो, तो मजदूरों को उनकी मेहनत का पूरा पूरा फल भी आपको देना होगा। उनको मजदूरी का भी जिक्र होना चाहिए। उसको अपनी मेहनत का ठीक ठीक फल तो प्राप्त होना चाहिए।

यह ठीक है कि कहीं कहीं शेड्यूल्ड एम्प्लायमेंट्स में डबल पेमेंट्स का जिक्र है किन्तु उस पर कहां तक ध्यान दिया जाता है यह देखने वाली बात है। अभी तक कहीं १-१/२, कहीं १-१/४ कहीं केवल आर्डिनरी आधार पर ओवर-टाइम दिया जाता है। लेकिन जब डबल की बात की जाती है तो आप चुप हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि उनको ओवर-टाइम का डबल पेमेंट अवश्य होना चाहिए। १९५८ में ११ अक्तूबर के नोटिफिकेशन के बावजूद भी म्युनिसिपैलिटियों और कारपोरेशंस में जो अन्याय हो रहा है और उन्हें उनकी मेहनत की उजरत नहीं मिलती है सरकार का उस तरफ ध्यान जाना चाहिए।

मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखना चाहता हूं जिन से कि आपको पता चल जाये कि किस तरह से काम चल रहा है और किस तरह से पेमेंट्स हो रहे हैं। जहां तक आंध्र प्रदेश का ताल्लुक है वहां रोजाना ९ घंटे और हफ्ते में ४८ घंटे की लिमिट है और वहां पर जो ओवर-टाइम है वह १-१/२ दिया जाता है। लेकिन तेलंगाना में उस पर अमल नहीं होता है। आसाम में ९ और ४८ घंटे हैं। बिहार में ९ और ५४ हैं और इन दोनों में ओवर-टाइम १-१/२ देने की व्यवस्था है। और फिर बम्बई राज्य में ९ और ४८ घंटे चलते हैं। विदर्भ में भी यही है लेकिन सौराष्ट्र रिजन में घंटों में भी फर्क है। मराठवाड़ा में ९ और ४८ हैं और १-१/२ दिया जाता है। कच्छ में मिनिमम वेज रूल्स का कोई जिक्र नहीं है और वहां पर वे लागू नहीं होते हैं। केरल में १-१/२ है और ९ और ५४ घंटे हैं। और फिर मध्य प्रदेश रिजंस में ९ और ५४ है और १-१/२ है। मध्य भारत रिजन में ९ और ४८ और १-१/२ है। विन्ध्य प्रदेश रिजन में भी यही है। भोपाल रिजन में ९ और ४८ का जिक्र तो है लेकिन १-१/२ का जिक्र नहीं है एग्रिकल्चर के लिए और कहा गया है कि आर्डिनरी रेट आफ वेज ही होगा। मैसूर में जो एरियाज ट्रांसफर हुए हैं पहली हैदराबाद स्टेट से और बम्बई से और जो फार्मर मैसूर स्टेट थी वहां ९ और ४८ और १-१/२ का जिक्र है। कुर्ग में १-१/२ का जिक्र है। मद्रास से जो एरियाज मैसूर में ट्रांसफर हुए हैं उनमें १-१/२ का तो जिक्र है लेकिन घंटों का कोई जिक्र नहीं है। मद्रास में भी १-१/२ का जिक्र है और ९ और ४८ घंटे है। उड़ीसा के अन्दर १० और ६० घंटे हैं और १-१/२ है। पंजाब में ९ घंटों का ही जिक्र है और १-१/२ है। राजस्थान में ९ और ४८ और १-१/२ है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शान्ति है। उसने यह फैसला किया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां ओवर-टाइम की जो बात है वह फैक्ट्रीज एक्ट और यू० पी० शाप्स एंड कामर्शियल इस्टेबलिशमेंट एक्ट में आती है। लेकिन उससे भला नहीं होता है। आपका ध्यान केवल इंडस्ट्रियल लेबर की तरफ है। मेरा ध्यान म्युनिसिपल लेबर, एग्रिकलचरल लेबर, अदर पूअर लेबर क्लासिस की तरफ है और यहां तक कि डोमेस्टिक लेबर की तरफ भी है। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

बंगाल के अन्दर ८ और ४८ घंटे हैं और डबल आर्डिनरी वेज का है । आयल और राइस मिल्स के अन्दर यही है । पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के अन्दर घंटों का कोई जिक्र नहीं है और कहा गया है ओवर-टाइम दिया जायेगा । सिगरेट मेकिंग में ९ और ४८ और डबल आर्डिनरी रेट्स का है । लोकल आथोरिटी यानी म्यूनिसिपैलिटीज में ६ से ८ और ४८ है । मैं एक इनक्वायरी में गया हूं और मुझे पता चला है कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा घंटों तक काम लिया जाता है । वहां पर जो नोटिफिकेशन ११-१०-१९५८ का है उस पर अमल नहीं हो पाता है । हिमाचल प्रदेश और मनीपुर में न घंटों का जिक्र है और न ही कोई रूल्स बने हैं । त्रिपुरा में ९ और ४८ और १-१/२ का जिक्र है । दिल्ली में ९ और ४८ घंटे हैं और १-१/२ का जिक्र है अमल नहीं हो रहा है ।

यह चित्र मैंने आपके सामने इस वास्ते रखा है ताकि इस ओर आपका ध्यान जा सके । मैं समझता हूं कि फैक्ट्रीज एक्ट का और शाप्स और कोमरशियल एस्टैबलिशमेंट्स एक्ट की प्राविजन्स का व्यर्थ का सहारा लेकर मजदूरों को खास तौर से म्यूनिसिपल वर्कर्स को भुलावे में रखा जाता है । यह नीति अच्छी नहीं है । सरकार अब तक इस बात को टालती रही है और अर्थ नैशनलिज्म तथा देश की अवस्था का भयावना चित्र खींचकर मजदूरों को भ्रम-जाल में फंसाती रही है, यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है । जहां सरकार का ध्यान मालिकों की ओर जाता है, वहां मजदूरों की ओर भी जाना चाहिए । मैं आज देख रहा हूं कि लाखों रुपये मजदूरों के ओवर-टाइम के एरियर कि कर्म में कारपोरेशंस के अन्दर और म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर पड़े हुए हैं और वह रुपया उनको मिलना चाहिए । यह सब इस कारण से हुआ है कि कोई आपकी निर्धारित पालिसी नहीं है । रुपया देने से बचने की जरूरत नहीं है, यह मेरी आपसे प्रार्थना है ।

साप्ताहिक छुट्टी मजदूरों के लिए छुट्टी न होकर काम का दिन बन गई है और कानून में किसी प्रकार का प्राविजन न होने से उन्हें इससे भी वंचित रहना पड़ता है । उनके नाम रजिस्टर्स में चढ़ा कर छुट्टी अख्त्यार कर ली जाती है । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों के साथ चाहे वे फैक्ट्रीज में काम करते हों या म्यूनिसिपैलिटीज में काम करते हों, चाहे कारपोरेशंस में करते हों, चाहे खेतों में करते हों, चाहे मिलों में करते हों, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वह समाप्त होना चाहिए । उनके गाढ़े पसीने की कमाई का पैसा उनको मिलना चाहिए । ओवर-टाइम की एक यूनिफार्म पालिसी निर्धारित करने से पहले यह परम आवश्यक है कि आवर्स आफ वर्क और वेज रेट निर्धारित हों । ओवर-टाइम की भी यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिए ।

आप कहते हैं कि आप देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी स्थापित करना चाहते हैं । ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि समाज में न्यायसंगत कदम वही हो सकता है जोकि मजदूरों के हक में उठाया जाए । जो मजदूरी है उसे राज्य सरकारों को ठीक तरह से निर्धारित कर देनी चाहिए ।

आपकी जो एडवाइजरी कमेटी थी उसका यह सुझाव था कि कम से कम मजदूरी १८ आने होनी चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस पर आपने अमल किया है । लेकिन मैं इस पर अधिक न कह कर इतना कहना चाहता हूं कि जो ओवर-टाइम का प्रश्न है वह एक गम्भीर प्रश्न है । आप कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट है, कमर्शियल एस्टेबलिशमेंट एक्ट है, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये दोनों ही एक्ट म्यूनिस्पिल वर्कर्स पर, एग्रिकलचरल वर्कर्स पर लागू नहीं होते हैं, उन पर इनको अमल में नहीं लाया जाता है । इस वास्ते सरकार के सामने मैं इस बिल को लाया हूं ताकि ये सब बातें आपके नोटिस में आ जाएं । आप चाहें तो मेरे बिल को स्वीकार कर लें और चाहें तो अपना बिल लायें ।

[Shri Balmiki]

लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि आपका ध्यान एग्रिकल्चरल लेबर की तरफ, म्युनिसिपल लेबर की तरफ, कारपोरेशंस की लेबर की तरफ और उनके ओवर-टाइम की तरफ जाए और ऐसा बिल लाना होगा जिससे उनको लाभ पहुंच सके। इसके अलावा एक दो और बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जहां तक इन्सपेक्शन और एन्फोर्समेंट का ताल्लुक है, फैक्ट्री इन्स्पेक्टर्स के ऊपर और दूसरे एस्टैब्लिशमेंट के जो आफिसर्स हैं उन के ऊपर पहले ही अपने रईस मालिकों का काम इतना ज्यादा है कि वह फुर्सत नहीं पाते। वह लोग जा कर एग्रीकल्चर लेबर्स की या ओवर-टाइम की जांच कैसे कर सकते हैं जब कि वह अपना काम छोड़ नहीं सकते हैं? इस तरह के लोग इन्स्पेक्शन में और एन्फोर्समेंट में रक्खे जाते हैं। इसके लिए एक अलग मशीनरी बनाई जानी चाहिये क्योंकि बगैर इस के काम नहीं चल सकता है जो केवल इस काम को देखे।

जहां तक आजकी आपकी यूनिफार्म वेज पालिसी का ताल्लुक है वह बिल्कुल लचर और कमजोर है। वह ठीक तरह से होनी चाहिये। इस के लिये जरूरी है कि आप वेज फिक्सेशन को ध्यान में रखते हुए एक परमेनेन्ट वेज फिक्सेशन मशीनरी बनायें। उस को लाने के बाद ही आप इस काम को कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को लाये बगैर अगर आप कागज पर इस को मंजूर भी कर लेते हैं तो उससे हमारा काम नहीं चल सकता है। इसके लिये मैंने यहां पर विधेयक पेश किया है। यहां पर सब से बड़ा सवाल यह होगा कि मजदूरों को इस वक्त इतना एरियर कहां से पे किया जायेगा। मैं मजदूरों को भुलावे में नहीं रखना चाहता। उन को बतलाया जाय कि यह अवस्था है। अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ लेकिन आइंदा खामियां नहीं होंगी। इस के बाद आप को सब कुछ ठीक तरह से प्राप्त होगा। मजदूर की मजदूरी को ख्याल में रखते हुए यह आवश्यक है कि मेरा जो संशोधनात्मक विधेयक आप के सामने पेश है उसे स्वीकार किया जाये। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। उन्होंने अन्य मजदूरों के भले के लिये बहुत से काम किये हैं। जब भी इंडस्ट्रियल लेबरर्स या दूसरे लेबरर्स की बात आती है, वह सहायता जरूर करते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों को आप के किसी काम से कोई फायदा नहीं पहुंचा है। इस लिये मेरा अनुरोध है कि जो बिल मैं लाया हूं आप उसे मंजूर करें और जो मजदूर म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर और कारपोरेशन्स के अन्दर काम करते हैं, खास तौर पर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उन को लाभ पहुंचायें। अब समय आ गया है कि वह लोग आगे आ सकें। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के वक्त में अगर इस विधेयक को मंजूर कर लिया गया तो इस तरह के मजदूरों को जरूर अवसर प्राप्त होगा आगे आने का। आज की स्थिति में हम हर जगह पर अपनी आर्मी की तारीफ करते हैं और करनी चाहिये। लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर आज हमारा उत्पादन बढ़ता है तो वह केवल हमारे मजदूरों की मेहनत पर। अगर हम देश की तन्दुरुस्ती को कायम रखना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को जिन्दा रखना चाहते हैं, तो मजदूरों का हम को ध्यान रखना ही होगा।

"पापो नृषद् वरोजन: इन्द्र इच्चरेत:
सखा चरैवेति चरैवेति चरैवेति"

पापी वह है कि जो मेहनत किये बगैर थक कर बैठ जाता है, पैसे वाले थक कर बैठते हैं। उपनिषद् में कहा है कि जो मेहनत करता है वह नहीं थकता है, मेहनत करने वाला रात दिन चलने वाला इंद्र है, इंद्र उस के साथ है। आज इंद्र मजदूर के साथ है जिस के हाथ

में मेहनत है, मशक्कत है। वह अपनी मेहनत के बल पर खड़ा होता है। जरूरी बात है कि उस को न्याय दिया जाय।

आज बदकिस्मती की बात है कि हमारे देश का मजदूर संगठन अलग अलग ढंग से बटा हुआ है। आज मजदूरों के पास इस लिये ताकत नहीं है। मजदूरों के नेता डा० मालकाटे यहां बैठे हुए हैं, मैं उन से कहना चाहता हूं कि तमाम मजदूरों का एक संगठन होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आज इंडस्ट्रियल लेबर के लिहाज से एक संगठन है वह भी पार्टियों के आधार पर। साथ में वह एग्रिकल्चरल लेबर या म्यूनिसिपल लेबर के साथ लिप सिम्पैथी जरूर रखते हैं हृदय की सिम्पैथी नहीं। मैं सारे देश में मजदूरों की एकता चाहता हूं, उन का एक श्रम राज्य देखना चाहता हूं। आप उस मजदूर राज्य के नीचे हैं, उस के ऊपर नहीं। ऐसी भावना रखते हुए मैं चाहता हूं कि इस ओवर-टाइम की बात आप मान लें। अगर आप इस को मान कर हजारों मजदूर परिवारों को सुखी और उनके भविष्य को उज्जवल करेंगे तो इस से आप का भी लाभ होगा और हम को भी लाभ होगा।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Minimum Wages Act, 1948, be taken into consideration."

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक मेरे मित्र श्री वाल्मीकी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे देश में मिनिमम वेजेज अर्थात कम से कम तन्ख्वाह तकरीबन सभी मजदूरों को मिल रही है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि सरकार की तरफ से इस के लिये कोशिश हो रही है, लेकिन आज ओवर-टाइम के बारे में यह बिल रखने की जरूरत क्यों हुई, इस को मैं आप के सामने अच्छी तरह रखना चाहता हूं। छोटे छोटे उद्योगों की बात तो छोड़ दीजिये, वह अक्सर यह कहते हैं कि हमारी तो ताकत नहीं है देने की। मगर हमारे देश के चाहे छोटे सरमायेदार हों चाहे बड़े, जब भी मजदूरों को कुछ देने की बात आती है और कहा जाता है कि आखिर मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये आप भी तो कोशिश करें तो एक ही चीज वह भी कहते है कि हमारी तो देने की ताकत है नहीं। अगर आप पूछें कि लेने की ताकत है तो कहते हैं कि वह तो बहुत है। ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते। इसी वजह से एक जगह मैं ने देखा कि जब भी कोशिश होती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना में काम बढ़ाया जाय तो लोग अक्सर यह कहते हैं कि हम काम बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना के काम में हमारे बच्चों की मुस्कराहट छिपी हुई है। यह बिलकुल सच बात है, लेकिन मेरे सामने कुछ मामले मिनिमम वेजेज के आ चुके हैं, और मैं ने देखा कि अगर किसी के लिये एक रुपया मिनिमम वेज निर्धारित की गई है तो उसे ७ या ८ आने दे कर १ रु० पर दस्तखत लिये जाते हैं। वह मजदूर, मुफ्लिस मजदूर, बेकस और बेबस मजदूर आखिर करे क्या? वह बेकारी से लड़ते लड़ते हार चुका है और अगर इस वक्त कहा जाय कि जब तक तुम्हें एक रुपया न मिले तुम दस्तखत न करो, तो वह कहेगा कि क्या तुम मुझे ८ आने भी दिला सकते हो। मेरे पास इस का कोई उत्तर नहीं है। इस बात का मुझे भरोसा नहीं है तो क्या मुंह ले कर उस के सामने जाऊं और कहूं कि तुम दस्तखत करने से इन्कार कर दो।

मैं काम के घंटों के बारे में बतलाऊं। इलाहाबाद के करीब एक जगह है नैनी। नैनी में हमारे उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े सरमायेदार जयपुरिया साहब ने कुछ कारखाने खोले हैं। सरकार की तरफ से भी काफी मदद मिली है। इलाहाबाद के लोग भी काफी खुश थे क्योंकि इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जिस का औद्योगीकरण किया गया है।

[श्री स० मो० बनर्जी]

वहां पहले उद्योग नहीं थे। उन्होंने समझा कि अगर आज उद्योग यहां खुल जायेंगे तो बेकारी कुछ कम होगी और लोगों को नौकरियां मिलेंगी। वहां पर एक टेक्स्टाइल मिल भी है, स्वदेशी टेक्स्टाइल मिल। उस के मजदूरों से ११, १२ १३, घंटे तक काम लिया जाता था। इस के विरुद्ध वहां के मजदूरों ने आन्दोलन किया। विरोधी दल के सदस्य वहां नहीं थे बल्कि हमारे वे व्यक्ति इस मजदूर आन्दोलन की रहनुमाई कर रहे थे जो कि आज रूलिंग पार्टी से सम्बन्धित हैं। लेकिन उस के नतीजे क्या हुए? आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि इसी साल जून के महीने में वह आन्दोलन चला और बार बार इसरार करने के बाद भी मालिकों ने कोई बात सुनने से इन्कार कर दिया और कहा कि अगर आप को नौकरी करना है तो १२ और १३ घंटे काम करना होगा। अगर नहीं कर सकते तो नौकरी से निकाल दिये जाओगे। हमारे मजदूरों को बड़ा गुस्सा आया, बहुत दुःख हुआ, उन्होंने फैसला यह किया कि इस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल करें। मैं कोई हड़ताल का समर्थन करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन जब उन्होंने हड़ताल कर दिया तो वहां के कंसिलिएशन आफिसर और लेबर आफिसर के पास वह गये और बजाय इस के कि वहां मसला हल किया जाता, वहां ५२ लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन में हमारे एक मित्र और मजदूरों के एक बहुत ही सच्चे कारकुन हैं श्री ओम प्रकाश गौड़, उन को गिरफ्तार किया गया, लाठी चार्ज किया गया वहां जो ५२ भाइयों के ऊपर मुकदमे दायर किये गये हैं, आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि उन के साथ जो व्यवहार किया गया उस का मुकाबला सन् १८८६ में शिकागो के हे मार्केट के हादसे के साथ किया जा सकता है। वहां के लोग गरीब थे लेकिन सरमायेदारों के पास ताकत थी। वहां पर खून की होलियां खेली गईं।

उपाध्यक्ष महोदय: वह मुकदमे चल रहे हैं इस लिये आप उन को हालत में न लायें।

श्री स० मो० बनर्जी: उन पर मुकदमे चल रहे हैं, इस लिये इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन उस के बाद उस आन्दोलन के बाद उन के काम के घंटे घटाये गये। पर वहां अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उन को ओवरटाइम दिया जाय। इस लिये मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आज मिनिमम वेजेज को सही तौर से लागू किया जाय तो लोगों को उस से फायदा हो सकता है। आप को चाहिये कि जो वेजेज आज हिन्दुस्तान में हैं उन को देखिये। यह हुकूमत को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। हमारे जो कष्ट हैं उन को तो हमारे श्रम उपमंत्री जी काफी हद तक जानते हैं। जो भाई मर्कजी हुकूमत के मातहत काम करते हैं, जो मजदूर हैं उनकी बात हमेशा कह दी जाती है। जब भी हमारे सेंट्रल एम्प्लायीज कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिये तो हमारी सरकार कहती है कि आप हमारे कर्मचारियों की तरफ देखें, उनकी तनख्वाहें कितनी कम हैं।

श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली): कभी नहीं कहा, बिल्कुल गलत है।

श्री स० मो० बनर्जी: गलत आप नहीं कह सकते। आपने मुझे यह नहीं कहा लेकिन मजदूर यह कहते हैं और मैं कह रहा हूं उनकी तरफ से।

अगर प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ायी जाए तो कहा जाता है कि कारपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटियों के कर्मचारियों की तरफ देखो उनकी तनख्वाह कितनी कम है। अगर म्यूनिसिपैलिटी और कारपोरेशन के कर्मचारी कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ायी जाए तो उनको कहा जाता है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की तरफ देखो कि वहां पर बेकारी

की क्या हालत है। और कहा जाता है कि सब की तनख्वाह बराबर हो जायेंगी क्योंकि देश में समाजवाद आ रहा है। मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन एक कम्प्रीहेंसिव मिनिमम वेजेज एक्ट लाने की बात हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। वह नहीं आया। आज आप देखें कि मिनिमम वेज कितनी है। आज जो मिनिमम वेज है वह न तो मिनिमम है और न वेज है। कहा जाता है कि हम मिनिमम वेजेज एक्ट का संशोधन करेंगे और एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लायेंगे। आज जो लोग मुनाफा कमा रहे हैं अगर उसका २५ या ३० फीसदी भी मजदूरों में बांट दिया जाए तो उससे मजदूरों को बहुत सहूलियत मिल सकती है और वह किसी तरह अपनी जिन्दगी बसर कर सकते हैं। अगर इस बिल को आप मंजूर कर लें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप यह मंजूर न भी करें तो भी मिनिमम वेज बढ़ाने की तो कुछ कोशिश कीजिए। नैनीताल में कानफरेंस हुई, नई दिल्ली में हुई, १५वीं लेबर कानफरेंस हुई, १६वीं हुई, १७वीं हुई और उनमें इस बारे में विचार किया गया और तमाम लोगों ने माना कि वेजेज कम हैं। मेरा निवेदन है कि आप देखें कि आज एक साधारण आदमी की कितनी तनख्वाह है। तेल मिलों में काम करने वालों को आज भी २७–२८ रुपए महीना मिलता है। इतने में तो वह सिर्फ अपने कफन का इन्तिजाम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट को तेजी से लागू करें और जो उसका उल्लंघन करते हैं उनको सजा दें। सजा देना तो ठीक है लेकिन यह भी देखा जाए कि जो मजदूर आज इस ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं उनको ठीक वेज मिलता है या नहीं। जो आपके इंस्पेक्टर जांच करने जाते हैं उनकी रिपोर्ट को देखें। मैं समझता हूं कि आज की मिनिमम वेज स्टारविंग लाइन के बहुत नजदीक है। यह मेरी बात नहीं है बल्कि और लोगों की भी राय है कि आज हिन्दुस्तान में मजदूर को जो वेज मिलता है उसकी हिन्दुस्तान की महंगाई से कोई निस्बत नहीं है। यह मानना कि आज हिन्दुस्तान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि हम मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह दे सकें लेकिन उनको कम से कम हम इतना तो मिलना चाहिये कि वह किसी तरह गुजर बसर कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनको तो अच्छी तनख्वाह मिलती है। हिन्दुस्तान में बहुत कम लोगों को इतनी अच्छी तनख्वाह मिलती है। लेकिन फिर भी आज दो एस्टेबलिशमेंट रखने में हमको तकलीफ होती है। आप सोचें कि जिस आदमी को एक रुपया, आठ आना या दस आना रोज मिलता है वह किस तरह अपनी गुजर कर सकता होगा। आज मजदूरों की ऐसी हालत है कि अगर भगवान् भी उनके घर आना चाहे तो वे कहेंगे कि वह रोटी और कपड़े की शक्ल में आए। वह भगवान् को कहेंगे कि आप मन्दिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और और गिरजाघरों में रहिए। लेकिन अगर हमारे घर आना है तो रोटी और कपड़े की शक्ल में आइए।

15 hrs.

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह मेरी बातों का जवाब दें।

एक चीज मुझे और कहनी है। ऐसा कोई नहीं कह सकता.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप खत्म कर रहे हैं?

श्री स० मो० बनर्जी : मैं खत्म कर रहा हूं।

मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी इधर से कोई सुझाव आता है तो यह न समझा जाए कि वह लेबर मन्त्रालय की खिलाफत करने के लिये आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस सवाल को निष्पक्ष रूप से

[श्री स० मो० बनर्जी]

देखेंगे । यह बिल किसी विरोधी की तरफ से नहीं आया है बल्कि ऐसे शख्स की तरफ से आया है जिसको कटु अनुभव है । मैं चाहता हूं कि मंत्री भी इसको उसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें । ऐसा नहीं होना चाहिये कि अगर हम कोई बात कहें तो उनको बुरी लगे । आप हिन्दुस्तान के डिप्टी लेबर मिनिस्टर हैं आपके लिए सारे मजदूर बराबर हैं । आपको यह ऐलान करना चाहिये कि जब भी विरोध की तरफ से इस तरह की बात आती है तो मैं—डिप्टी मिनिस्टर आफ लेबर—नहीं हूं बल्कि डिप्टी मिनिस्टर आफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हूं ।

17·02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 30, 1959/Agrahayana 9, 1881 (Saka).